भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 633
दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कामगारों के वेतन में वृद्धि

633 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 महामारी के बीच कार्यबल में अधिक महिला भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है;
(ख) कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कितनी महिलाओं ने कार्यबल को छोड़ दिया;
(ग) कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कितनी छात्राओं ने विद्यालय छोड़ दिया; और
(घ) क्या सरकार मुद्रा स्फिति के कारण आंगनवाड़ी कामगारों/आशा कामगारों के वेतन में वृद्धि करने पर विचार करने जा रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : सरकार ने महिलाओं सहित आम जनता को अपने व्यवसाय को चलाते हुए, कोविड-19 से रोकथाम के लिए सभी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। घर से काम करने, ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसन परामर्श आदि जैसे उपायों को बढ़ावा दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, एएनएम, आशाओं को कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में नियोजित किया गया है।

(ख) : मंत्रालय के पास यह डाटा नहीं है।

(ग) : समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां जिनमें सीनियर सेकेंडरी स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षा कमरों का निर्माण, आवासीय स्कूलों/हॉस्टलों की स्थापना, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन अभियान चलाना, आवासीय के साथ ही गैर आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी हॉस्टल/आवासीय शिविर इत्यादी शामिल हैं, के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा स्तर पर छात्रों को मध्यान्ह भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अलावा स्कूली शिक्षा विभाग में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के ड्रॉप-आउट को रोकने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(घ) : 01 अक्तूबर 2018 से सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) का मानदेय 3000/- रुपये से बढ़ाकर 4500/- रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केंद्र पर एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 2250/- रुपये से बढ़ाकर 3500/- रुपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) का 1500/- रुपये से बढ़ाकर 2250/- रुपये प्रति माह किया है और एडब्लयूएच को 250/- रुपये प्रति माह के निष्पादन संयुक्त प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है। इसके अलावा एडब्ल्यूडब्ल्यू को पोषण अभियान के तहत आईसीडीएस – सीएएस का इस्तेमाल करने के लिए 500/- रुपये प्रति माह की निष्पादन प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

भारत सरकार द्वारा दिए गए मानदेय के अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी इन कार्यकर्त्रियों को अपने निजी संसाधनों से मौद्रिक प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं।

आशाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम रूप दिए गए प्रोत्साहनों की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और आशाओं को प्रोत्साहन दिए जाने वाली गतिविधियों का समय-समय पर विस्तार किया जाता है। आशाओं को ये दिए जाने वाले प्रोत्साहन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएचएम के तहत आशाओं के लिए नियमित रिकरेंट प्रोत्साहन को 1000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2000/- रुपये प्रति माह करने का अनुमोदन है। कोविड-19 महामारी से संबंधित कार्य के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए 1000/- रुपये प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उपरोक्त के अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आशाओं के लिए माक्स और सेनिटाइजर जैसे सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा गया है और हाल ही में शुरू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत, आशाओं सहित सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। इस बीमा स्कीम में कोविड-19 महामारी के कारण या कोविड-19 संबंधित ड्यूटी के चलते दुर्घटना के कारण जीवन की क्षति की स्थिति में 50 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा का प्रावधान है।

****